फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO) मावली, उदयपुर

प्रार्थी : श्री शेख किरमानी **विपक्षी : श्री दौला**

किस्म मुकदमा – 53 रा.का. अधिनियम **पत्रावली संख्या : 120/23**

जीसीएमएस : 2023/361

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	दिनांक : 05.09.2024 पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता उभय पक्षकारान उपस्थित। प्रतिवादी संख्या 1, 2, 4 से 9 बावजूद सूचना अब तक अनुपस्थित हैं। आवाजे दिलवाई गई, अनुपस्थित है। अतः अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्व एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये जाते हैं। प्रतिवादी सं. 10 के विरूद्व पूर्व में एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये जा चुके हैं। अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस सुनी गई। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस पर मनन किया। अधिवक्ता वादी द्वारा अपनी बहस में वाद में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा वादी का वाद स्वीकार कर हिस्से एवं कब्जे के आधार पर बंटवाडा किया जाने का निवेदन किया। अधिवक्ता प्रतिवादी सं. 3 द्वारा अपनी बहस में प्रतिवाद में अंकित तथ्यो को दोहराया तथा प्रतिवादी का प्रतिवाद स्वीकार किया जाकर हिस्से एवं कब्जे के आधार पर बंटवाडा कर प्रतिवादी सं. 3 का हिस्सा भी पृथक किया जाने का निवेदन किया। वादी द्वारा अपने वाद पत्र के समर्थन में साक्ष्य वादी शपथ पत्र पीडब्ल्यू 1 श्री शेखकिरमानी का पेश किया। वादी द्वारा दस्तावेज जमाबन्दी नकल प्रदर्श 1, 2, नक्शा ट्रेस प्रदर्श 3 पेश किये। प्रतिवादी सं. 1, 2, 4 से 10 द्वारा बावजूद सूचना उपस्थित होकर वादी के वाद व प्रतिवादी सं. 3 के प्रतिवाद का किसी प्रकार से कोई खण्डन नहीं किया, इससे भी वादी के वाद व प्रतिवादी सं. 3 के प्रतिवाद को बल मिलता हैं। वादग्रस्त भूमि सामलाती होने से वादी व प्रतिवादी सं. 3 को अपने हिस्से की भूमि का विकास करने में कठिनाई आ रही हैं। भूमि सामलाती होने से एवं वादी व प्रतिवादी सं. 3 सहमत होने से हिस्से एवं कब्जे के आधार पर बंटवाडा किया जाना न्यायहित में उचित प्रतीत होता हैं। अतः वादी का वाद व प्रतिवादी सं. 3 का प्रतिवाद स्वीकार योग्य पाया जाता हैं। अतः वाद वादी व प्रतिवादी सं. 3 का प्रतिवाद स्वीकार कर प्रारम्भिक रूप से डिक्री किया जाता हैं कि मौजा सालेराकलां पटवार हल्का सालेराकलां तहसील मावली की नकल जमाबन्दी सम्वत् 2077–80 के खाता संख्या 494 पर दर्ज आराजी नम्बर 1755, 1757, 1762 किता 3 रकबा 1.2384 हेक्टेयर एवं खाता सं. 116 पर दर्ज आराजी नम्बर 1756, 1758, 1759, 1760, 1761, 1763, 1764 किता 7 रकबा 2.5415 हेक्टेयर भूमि का वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य कानूनी रूप से हिस्से एवं कब्जे के आधार पर बंटवाडा प्रस्तावित किया जाकर वादी व प्रतिवादी सं. 3 का हिस्सा पृथक किया जावें तथा विभाजन प्रस्ताव में जमाबन्दी में अंकित खातेदारों के नाम ही अंकित किये जावें। विभाजन प्रस्ताव तैयार करने हेतु भूमिधारी तहसीलदार मावली को 1000/– रूपये के शुल्क पर बंटवाड़ा कमिश्नर नियुक्त कर आदेशित किया जाता है कि विभाजन प्रस्तावित करने से पूर्व सभी पक्षकारान को जरिये सूचना पत्र मौके पर तलब किया जावे। यथासम्भव सभी पक्षकारान की उपस्थिति में बंटवाड़ा प्रस्तावित किया जावे। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में वर्णित प्रावधानों का पूर्ण रूप से पालन किया जावे। माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के पत्रांक 10546 दिनांक 05.10.2020 जारी निर्देशों अनुसार मौका पर्चा रिपोर्ट तैयार की जावे। विभाजन सूची, लगान सूची, नक्शा ट्रेस 2–2 प्रतियों में पेश किये जावे। फीस कमिश्नर वादी मौके पर अदा करें। प्रारम्भिक डिक्री पर्चा जारी हो। पालना हेतु तहसीलदार मावली को लिखा जाकर पत्रावली दिनांक 14.10.2024 को पेश हो। **(मनसुख राम डामोर)** **सहायक कलक्टर** **(SDO) मावली**	

Signature Not Verified
Digitally signed by Mansukh Ram Damor
Date: 2024.09.11 17:43:42 IST
Reason: SelfAttested